भारत सरकार

रेल मंत्रालय

रेलवे भर्ती बोर्ड:: सिकंदराबाद

सीईएन :03/2025 (पैरा मेडिकल)

सीईएन 03/2025 (पैरा मेडिकल) के विभिन्न पदों हेतु दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों का शॉर्टलिस्टिंग

सीबीटी-1 परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर, नीचे दिए गए अनुसूची के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड, सिकंदराबाद में सीईएन 03/2025 के तहत श्रेणी-वार पदों के लिए दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने हेतु निम्नलिखित 10 उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से शॉर्टलिस्ट किया गया है। (नोट: रोल नंबर आरोहि क्रम में व्यवस्थित है मेरिट क्रम में नहीं)

श्रेणी सं.01 (पू.त.रे) नर्सिंग सूपरिंटेंडेट दिनांक: 29.07.2026 रिपोर्टिंग समय: 13:30 बजे				
28325013280186022	28325014240169142	28325014280151688	28325016280186352	केवल **04** (चार) अभ्यर्थी
श्रेणी सं.03 (पू.त.रे) स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक ग्रेड-II दिनांक: 29.07.2026 रिपोर्टिंग समय: 13:30 बजे				
28325032220173057	28325033120173013	28325033120191018	28325033130151781	केवल **04** (चार) अभ्यर्थी
श्रेणी सं.04 (पू.त.रे) फार्मासिस्ट (एंट्री ग्रेड) दिनांक: 29.07.2026 रिपोर्टिंग समय: 13:30 बजे				
28325043280173100	28325043280186202	केवल 02 (दो) अभ्यर्थी		

1. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सभी दस्तावेजों की स्पष्ट और सुपाठ्य स्कैन की गई छवियाँ, अपने पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ की स्कैन की गई प्रति (जैसा कि अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया गया है) और हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि आरआरबी दस्तावेज़ सत्यापन पोर्टल https://oirms-ir.gov.in/rrbdv/ पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अपलोड करें। यह पोर्टल आपके दस्तावेज़ सत्यापन तिथि से 10 दिन पहले से लेकर आपके दस्तावेज़ सत्यापन तिथि तक अपेक्षित दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए सक्रिय रहेगा।
2. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) दिनांक **29.07.2026** (**रिपोर्टिंग समय: 13.30 बजे**) रेलवे भर्ती बोर्ड, दक्षिण लालागुडा, इरिसेट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सिकंदराबाद - 500 017 (तेलंगाना) में आयोजित किया जाएगा।
3. अभ्यर्थियों को दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) के समय निम्नानुसार सभी आवश्यक दस्तावेज़ लाने की सलाह दी जाती है -
   i) ई-कॉल-लेटर में दिए गए निर्देशों के मद संख्या 2 में सूचीबद्ध मूल प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ स्पष्ट एवं सुपाठ्य फोटोकॉपी के 02 (दो) सेट (ए4 आकार में)।
   ii) 03 वर्तमान पासपोर्ट आकार के फोटो।
   iii) **03 वर्तमान स्टैम्प साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ**।
   iv) अभ्यर्थियों को उसी रंगीन पासपोर्ट फोटो की एक प्रति भी लानी होगी, जो उन्होंने डीवी/एमई के दौरान अपने ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था।
   v) **सीबीटी/सीबीएसटी (यथा लागू) के ई-कॉल लेटर का ऊपरी भाग।**
   vi) **आधार कार्ड** की दोनों तरफ की फोटो कॉपी।
   vii) **भुगतान की रसीद** यदि बैंक या डाक घर द्वारा किया गया हो तो।
   viii) मेडिकल परीक्षण शुल्क **24 रुपये** (नकद में) आरआरबी में भुगतान किया जाना है।

4. **अभ्यर्थी को उनके मेडिकल मेमो में प्रविष्टि के लिए, अपने चेहरे/शरीर (जैसा 10वी प्रमाणपत्र में उपलब्ध है/आपके द्वारा आवेदन में भरा गया है)पर कम से कम दो स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले पहचान चिह्नों को पहले ही दर्शाना होगा। कटे हुए या घांव के निशान स्वाकार्य नहीं है।**
5. दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी)के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में तथा अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। आगे, दस्तावेज़ सत्यापन की तिथि पर अपने मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थीयों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। डीवी/ ब्लॉक तिथि डीवी और / या चिकित्सा परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थीयों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
6. डीवी में शुरू में उपयुक्त पाए गए उम्मीदवारों को नामित रेलवे अस्पतालों में मेडिकल जांच (एमई) से गुजरना होगा। इसमें आरआरबी से रेलवे अस्पताल के शहर तक अतिरिक्त यात्रा और ठहरने की संभावना हो सकती है। तदनुसार, उम्मीदवारों को डीवी और मेडिकल जांच के लिए 4 से 5 दिनों से अधिक समय तक रुकने के लिए तैयार रहना होगा।
7. अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके आरआरबी/सिकंदराबाद की वेबसाईट से यात्रा प्राधिकरण (यथा लागू) के साथ अपने डीवी ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं:
   https://rrb.digialm.com//EForms/configuredHtml/33128/98076/login.html
8. **महत्वपूर्ण:** अभ्यर्थियों को अपने (i) पासपोर्ट आकार की फोटो, (ii) स्कैन की गई हस्ताक्षर और (iii) पहचान के दो निशान (कटे हुए और घांव के निशान स्वीकार्य नही है) आरआरबी दस्तावेज़ सत्यापन पोर्टल https://oirms-ir.gov.in/rrbdv/ पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपलोड करना होगा। यह पोर्टल **19.07.2026** से डीवी की तारीख तक दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए सक्रिय रहेगा।
9. कृपया दस्तावेज़ सत्यापन (डीवी) हेतु डीवी ई-कॉल लेटर में दिए गए विस्तृत निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज़ **मूल रूप में और फोटोकॉपी के दो सेट** (ए4 आकार में) साथ लाएं।
10. अभ्यर्थियों को उनके ई-कॉल-लेटर और यात्रा पास (यथा लागू) डाउनलोड करने के लिए पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जिसे दस्तावेज़ सत्यापन की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पहले लाइव कर दिया जाएगा।
11. यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अनुपस्थित रहते हैं तो अतिरिक्त दस्तावेज सत्यापन के लिए **ब्लॉक तिथि 10.08.2026 (सोमवार) को 09.30 बजे** हैं।

    नोट: यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि या ब्लॉक तिथि पर डीवी में उपस्थित नहीं होता है, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और किसी भी परिस्थिति में उसे आगे कोई अवसर प्रदान नहीं दिया जाएगा। आरआरबी असफल अभ्यर्थियों के साथ कोई भी पत्राचार पर विचार करने में अक्षमता के लिए खेद व्यक्त करता है।
12. यद्यपि इस सूची को तैयार करने में हर प्रकार की सावधानी बरती गई है, तथापि आरआरबी को किसी भी प्रकार की अनजाने में हुई त्रुटि या टाइपोग्राफिकल/मुद्रण गलती को सुधारने का अधिकार है। आरआरबी इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार करने में अक्षमता के लिए खेद व्यक्त करता है।
13. **नोट:**
    a) किसी अभ्यर्थी को केवल दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाना ही उसे रेलवे में नियुक्ति का हकदार नहीं बनाता। आरआरबी इस अधिसूचना में किसी भी अनजाने में हुई गलती को सुधारने, संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
    b) सभी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी अनंतिम है और भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर या उसके बाद भी यदि वे रेलवे पैनल में शामिल हैं या शामिल हो चुके हैं, यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी में कोई विसंगति, असंगति या कमी या किसी भी कदाचार (भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनकी ओर से) का पता चलता है तो ऐसे में उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

c) कृपया किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए केवल आरआरबी सिकंदराबाद की वेबसाइट www.rrbsecunderabad.gov.in देखें।

14. **अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकता पड़ने पर डीवी और एमई(मेडिकल जाँच) के लिए अतिरिक्त दिनों तक रुकने के लिए तैयार रहें।**

दिनांक: 15.07.2026 **अध्यक्ष/रे.भ.बो./सिकंदराबाद**

चेतावनी: नियुक्ति पाने के लिए अनुचित या अवैध साधनों का उपयोग करने वाले उम्मीदवारों को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, और उन पर आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया जाएगा।